संख्या-325/2020/417/22-2-2020-17(143)/2020

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 18 अगस्त, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुशील पुत्र श्री श्याम सुन्दर, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7904/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-26.02.2020) दिनांक-18.03.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुशील पुत्र श्री श्याम सुन्दर, पकरिया, थाना-महोली, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 28.09.1996 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर गिरजाशंकर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-620/1997 भा0द0सं0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-6, सीतापुर के आदेश दिनांक 12.09. -2007 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.09.2019 तक 14 वर्ष 11 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 11 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है किन्तु पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 28.09.1996 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर गिरजाशंकर नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किये जाने के दृष्टिगत गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुशील पुत्र श्याम सुन्दर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सुशील (बन्दी संख्या-45224) पुत्र श्री श्याम सुन्दर, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-325/2020/417(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सीतापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-325/2020/417/22-2-2020-17(143)/2020

दिनांक 18 अगस्त, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुशील पुत्र श्री श्याम सुन्दर, पकरिया, थाना-महोली, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बंदी ने दिनांक 28.09.1996 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर गिरजाशंकर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-620/1997 भा0द0सं0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-6, सीतापुर के आदेश दिनांक 12.09. -2007 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.09.2019 तक 14 वर्ष 11 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 11 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है किन्तु पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 28.09.1996 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर गिरजाशंकर नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किये जाने के दृष्टिगत गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुशील पुत्र श्याम सुन्दर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in